राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 1073/2017 व 1074/2017.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इमामी लिमिटेड, एच–119–120, रोड़ नं0 15, बढराना इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/07/2017	खण्डपीठ श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष श्री के. एल. जैन, सदस्य अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 65 व 66/अपील्स–III/स्थगन/2017–18 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में **'बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम'** का विक्रय ड्रग के लिये निर्धारित कर दर 5 प्रतिशत से कर वसूल करते हुए किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग–द्वितीय, जयपुर द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2014–15 (01.01.2015 से 31.03.2015) एवं 2015–16 (01.04.2015 से 26.11.2015) के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत दिनांक 18.05.2017 को पारित करते हुए, उक्त बिक्रीत माल को ड्रग की श्रेणी में नहीं मानकर **'कॉस्मेटिक'** की श्रेणी में माना गया, जिस पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V की प्रविष्ठि संख्या 67(iv) के तहत 14/14.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए 9/9.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण निम्न तालिका अनुसार किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.07.2017 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया जाकर; आरोपित कर व ब्याज की राशि पर स्थगन से इंकार किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में कर व ब्याज की बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका अनुसार है :– लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–2) 1073/2017 व 1074/2017.....जिला – जयपुर.....

उनवान : मैसर्स इमामी लिमिटेड, एच–119–120, रोड़ नं0 15, बढराना इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–द्वितीय, जयपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

31/07/2017

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	
1	2	3	4	5	6
1073/17	2014–15 (1.1.15 से 31.3.15)	12,64,616	3,28,802	25,29,232	**14,66,956**
1074/17	2015–16 (1.4.15 से 26.11.15)	1,06,77,149	22,42,203	2,13,54,298	**1,29,19,352**

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम. एल. पाटौदी तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–6** में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार सभी अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

अध्यक्ष
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर